1116
21/2/13
बिहार विधान मंडल पुस्तकालय
शोध/संदर्भ ग्रंथ

खण्ड : 6 संख्या : 24

एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(षष्ठम् सत्र)

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

सत्यमेव जयते

शुक्रवार, दिनांक : 26 जुलाई 1996 ई०

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"नाम इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बिहार कॉलेज सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1996" पर स्वीकृत हो।

श्री अम्बिका प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, स्वीकृति के प्रस्ताव पर मैं बोलना चाहता हूं। पहले तो मैं यह कह दूं कि, अध्यक्ष महोदय, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग में नियुक्तियों के लिए जो प्रक्रिया अपनायी जा रही है, मैंने इस सम्बन्ध में कल उच्च शिक्षा के निदेशक विद्यासागर बाबू से भी कहा था और माननीय मंत्री जी से भी कहा था और मैं सदन में भी रखना चाहता हूं कि मेरिट पर यानि एकेडेमिक क्वालिफिकेशन पर मार्क्स रखा जाता है 40 अंक और 60 अंक। इन्टरव्यू का रखा गया है। हिन्दुस्तान में ऐसा कहीं नहीं है। इससे यह हो रहा है कि इन्टरव्यू में जो अच्छे मेरिट वाले हैं, उनका इतना कम रखा गया है कि इन्टरव्यू में फेवरिटिज्म के आधार पर, किसमें फेवरिटिज्म होता है, मैं यह आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन जो होता है पैरवी का सिस्टम, इससे मेरिट वाले नहीं आ पाते हैं और कम मेरिट वाले इन्टरव्यू में ज्यादा मार्क्स लेकर चले जाते हैं। इन्टरव्यू में क्या हो रहा है, यह

मैंने विद्यासागर बाबू से और माननीय मंत्री जी से कहा है कि आपके जो मेम्बर इन्टरव्यू में आते हैं और जो एक्सपर्ट आते हैं, उनसे सादा कागज पर दस्तखत ले लिया जाता है और वे लोग सिर्फ फर्ज अदायगी करते है और सादा कागज पर बाद में मनमाने ढंग से इन्टरव्यू का नम्बर जोड़ दिया जाता है।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अम्बिका बाबू ने जिन प्रसंगों को उठाया है, उसका यह बिल नहीं है, यह बिल प्राइवेट कॉलेज का और प्राइवेट कॉलेजों में जो बहाली होती थी जो एडहॉक एप्वाइन्टमेंट, बैक डेटेड किया जाता था, उसको रोकने के लिए आर्डिनेन्स किया गया और यह बिल लाया गया है। यह बिल बहुत अच्छा है। इसके आधार पर इतना ही कह सकते हैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि जो कॉलेज शर्त पूरा करते हैं...

श्री अम्बिका प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जब मैं बोल रहा हूं तो ये प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर पर उठ सकते हैं, ये भाषण नहीं दे सकते हैं, ये भाषण करने लगे।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण ही दे रहा हूं, मैं प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर पर नहीं उठा हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अम्बिका बाबू, इस बिल में जो प्रावधान है, ये वही तो कह रहे है।

श्री अम्बिका प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय राजो बाबू ने जो आपत्ति की है, वह ठीक है, वह जानते हुए भी मैं इनका ध्यान खींचना चाहता हूं। मेरा यह कहना है और यह ठीक है कि यह कॉलेज पर है।

अध्यक्ष : यह प्राईवेट कॉलेज पर है।

श्री अम्बिका प्रसाद : मैं इतना ही कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इस तरह की धांधली जो हो रही है, यह साधारण बात नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इसको रोकिये और बिहार के विश्वविद्यालय में जहां तक इस बिल में तो एडहॉक एप्वाइन्टमेन्ट की बात है, इसके संबंध में मैं कहूंगा कि इस तरह की बहालियां जो हो रही है, आपके सिनेट, सिन्डिकेट का गठन नहीं हुआ, फंक्शन नहीं कर रहा है, इन्टरमीडिएट कॉन्सिल में जिसका नाम आज से एक महीना पहले भेजा गया है, उसका आज तक गठन नहीं हुआ है, बहाली की कोई प्रक्रिया नहीं है तो मजबूरी में पढ़ाने के लिए तदर्थ कमिटी बहाल कर लेती है। आप इसको रोकना चाहते हैं तो यह सही कदम है लेकिन जल्द से जल्द सिनेट सिन्डिकेट, स्वाशी निकाय है, उनका गठन किया जाय।

श्री रवीन्द्र चरण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट ऑफ इन्फॉरमेशन पर हूं। जो 40 और 60 का रेशियों है वह विश्वविद्यालय सेवा आयोग के मापदण्ड के आधार पर ही है, कोई राज्य सरकार के निदेश पर नहीं है और महामहिम कुलाधिपति के आदेश पर ही कार्रवाई होती है।

अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि जरा इसको पढ़िये, इसको, पूरे विधेयक को, इसका एक-एक पंक्ति को पढ़कर तब इस सदन में कोई बात करें, चर्चा करें तो वह लाभदायक होगी।

श्री शकुनी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि तदर्थ समिति के द्वारा जो बहाल होती है उसका एक कारण यह है कि आपने जितने भी प्राइवेट कॉलेज खुलवाये हैं, उनको आप एक भी पैसा नहीं देते हैं, प्रोफेसर को एक पैसा नहीं देते हैं।

श्री राजो सिंह :अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि माननीय शिक्षा मंत्री से तदर्थ समिति का सवाल नहीं है तदर्थ नियुक्ति का सवाल है जिसका सम्बन्धन होता है और जिसका इन्टरव्यू विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने लिया है लेकिन कनकरेन्स देने के लिये वह काफी दिनों से लंबित है, लगभग एक वर्ष पहले जो इन्टरव्यू हुआ था उसका चेयरमैंन बालेश्वर बाबू थे, उनका टाइम एक्सपायर कर गया और बाद में उनको एक्सटेन्शन दिया गया। इसलिये जो इन्टरव्यू हुआ है और उसमें जो रोस्टर बना हुआ है कि रिर्जेवेशन के आधार पर नियुक्ति होगी उसी लिस्ट के आधार पर उनका नाम सम्बन्धन कॉलेज को भेजवा दें। यही कहते हुए मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती सीता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ी हूं। माननीय सदस्य अम्बिका बाबू जी एलीगेशन सरकार पर लगा रहे हैं वह बेबुनियाद है और गलत है। सादे पर इन्स्ट्रक्टर थे और भी लोग थे, मुझे सादा कागज पर दस्तखत नहीं कराया गया। इन्टरव्यू देने के बाद जब छात्र निकलते हैं उसके बाद ही नम्बर बैठाया जाता है।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, उस बिल का उद्देश्य, कॉलेज सेवा आयोग 86 में विलोपित हुआ था जिसके कारण सम्बन्धन कॉलेज को अधिकार शक्ति मिल गया था उसको हम खत्म कर रहे है। वह पावर अपने पास ले रहे हैं। पहले जो लूट होता था, नौकरी मेनटेन नहीं होता था। जिसके सम्बन्ध में राजो बाबू ने बात उठायी है, इसीलिये इसके द्वारा उसके नौर्म्स को मेनटेन किया जायगा। यह बिल जो पेश किया गया है उसके जरिये इस राज्य में अच्छे योग्यता वाले शिक्षक

आयेगे। साथ ही साथ निकाय जो मनमानी करता था वह नहीं होगा। इसी उद्देश्य के लिये वह बिल लाया गया है। अम्बिका बाबू ने जो प्रश्न परीक्षा के सम्बन्ध में उठाया है उसका सम्बन्ध इससे यही है। उसमें एक्सपर्ट रहते हैं, उसमें कमीशन के लोग रहते है, सादा कागज पर किसी से दस्तखत नहीं कराया जाता है। जो मार्क्स मिलता है वह योग्यता के आधार पर मिलता है और तभी नियुक्ति होती है। इसलिये इसमें कहीं कोई शंका नहीं रखनी चाहिए।

श्री अम्बिका प्रसाद : आपको यह कहने में क्या आपत्ति है कि हम इसको देख लेंगे।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : आपने जो शंका जाहिर की है वह निर्मूल है, निराधार है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, मैं अभी कह रहा था कि माननीय मंत्री अपना विचार व्यक्त करते हैं विधेयक के सम्बंध में, उनको विधेयक गंभीरता से पढ़कर आना चाहिए। राजो बाबू ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो भायबुल यूनिट है, भायबुल कॉलेज है उसको स्वीकृति दीजिए। साथ ही साथ जो यू. जी. सी. के ग्रान्ट से ब्रांच है उसकी समीक्षा कीजिए और जो भायबूल यूनिट है उसको स्वीकृति दीजिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो बोगस चलाते हैं उसको नहीं कीजिए। जो भायबुल यूनिट है उसका मतलब यह है कि जिसकी जमीन हो, जिसके यहां विद्यार्थी हो और जिसके यहां शिक्षक हो उसको प्रस्वीकृति दीजिए। शिक्षक विभाग के मंत्री की हैसियत से आपका दायित्व है जो भायबूल यूनिट है, कॉलेज है उसको आप दीजिए।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार कॉलेज सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1996 स्वीकृत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार कॉलेज सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 1996 स्वीकृत हुआ।

सभा सचिव : महोदय, तिथि 24 जुलाई 1996 की बैठक में बिहार विधान परिषद् ने बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1996 पर जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 जुलाई 1996 को पारित हुआ था, विचार किया तथा बिना किसी सिफारिश के उस पर सहमति प्रदान की। तिथि 25 जुलाई, 1996 की बैठक में विधान परिषद ने बिहार कराधान विधि (संशोधन) विधिमान्यकरण (विधेयक, 1996 पर जो विधान सभा द्वारा 23 जुलाई 1996 को पारित हुआ था, विचार किया तथा बिना किसी सिफारिश के उस पर सहमति प्रदान की।

अध्यक्ष : अभी प्रश्नकाल में 5 मिनट विलम्ब है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बीच में जो ध्यानाकर्षण है वह निकल जाय तो ठीक है।

श्री हिन्द केशरी यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है कि आज ऑर्डर पेपर जो डेरे डेरे बंटा है उसमें हाईकोर्ट का अधूरा जजमेंट आंग्ल भाषा में संलग्न है। हमलोगों की मातृभाषा हिन्दी है । हमलोग बराबर आपके नेतृत्व में आंदोलन करते रहे है। देश को पचास वर्ष पहले आजादी मिली अंग्रेजी, अंग्रेजियत

से एवं काले अंग्रेजों से देश आज भी ग्रसित है और आज भी भारत में अंग्रेजी चलाया जा रहा है जो शर्म की बात है। हाईकोर्ट से जो फैसला निर्गत होता है वह अंग्रेजी भाषा में होता है और जो आज बांटा गया है वह हाईकोर्ट के जजमेंट का अधूरा ही है। मैं चाहता हूं कि पूर्ण फैसला की प्रति हिन्दी में प्रचारित की जाये ताकि सही रूप से इसकी समीक्षा एवं विवेचना कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्यों सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। यह हाईकोर्ट का जजमेन्ट है।

श्री हिन्द केशरी यादव : हाईकोर्ट अंग्रेजी में जजमेन्ट निर्गत करती है इसलिये हमारा प्रस्ताव है कि हाईकोर्ट हिन्दी में फैसला निर्गत करे।

श्री अम्बिका प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। यह कोश्चन है बी. ए. का। एक ही विश्वविद्यालय के एक ही कॉलेज में दो तरह का कोश्चन है। माननीय मंत्री जी एक ही कॉलेज में दो तरह का कैसे कोश्चन है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच पड़ताल करे। यह बी. ए. का कोश्चन है और एक ही विश्वविद्यालय के एक ही कॉलेज में दो तरह का कैसे हो गया। यह कोश्चन इतिहास का है।

अध्यक्ष : हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के जजमेन्ट को आप कैसे बदल देंगे। वह लिख रहे है अंग्रेजी में। माननीय सदस्य अशोक बाबू हिन्दी इसकी बन सकती है लेकिन मैं आपलोगों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो अंग्रेजी की भाषा है इसको आप हुबहू हिन्दी

बनायेंगे तो इतनी अच्छी नहीं बन सकती है और अभी मैं इसकी जांच ही करा रहा हूं। बीच में जरूरत होगी सदन में लाने के लिये तो हिन्दी में परिचारित करा देंगे।

श्री हिन्द केशरी यादव : अंग्रेजी की भाषा को हम हिन्दी में हुबहु नहीं बना सकते है यानी लिख सकते हैं, यह कहना ठीक नहीं है। अंग्रेजी से अच्छी से अच्छी हिन्दी भाषा में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, परिचारित कर सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर परसम्मानित कर सकते है। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि नेपाल की तरह ही बिहार में भी सभी तरह के वाहनों का रजिस्ट्रेशन संख्या हिन्दी के अक्षर एवं अंक में लिखने की व्यवस्था कराने की कृपा की जाय। क्योंकि आज भी अंग्रेजी चलाना राष्ट्रभाषा, मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा का अपमान है एवं अपनी मां के कोख में लात मारने के समान है। मैं अपनी लाश पर भी राष्ट्रभाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मानित एवं स्थापित करने को तैयार हूं।

श्री अश्विनी कुमार चौबे : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। मुझे पढ़ने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष : सभी कार्य स्थगन प्रस्ताव अमान्य है।

(व्यवधान)

शांति। शांति। माननीय सदस्यगण, आपलोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार जी। आपको कार्य स्थगन प्रस्ताव पढ़ने की अनुमति मैंने नहीं दी है। इसलिए आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री जगदानंद सिंह : महोदय, आखिर यह क्या हो रहा है। इस तरह से सदन नहीं चल सकता है।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र चरण यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूं।

श्री श्याम रजक : उपाध्यक्ष महोदय, जब बातें आसन की विना अनुमति के कही गयी हैं उन्हें कार्यवाही से निकलवा दिया जाये।

उपाध्यक्ष : आप लोग अपनी-अपनी सीट पर बैठ जायें। मैं अपना नियमन देता हूं।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किये।)

अध्यक्ष : शांति । शांति।

श्री रमई राम : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूं। मेरी व्यवस्था यह है कि प्रश्नकाल के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जाये। इसी बीच शून्यकाल शुरू कर दिया गया है।

इस बीच जो बातें कही गयी है उसको कार्यवाही से निकलवा दिया जाय।

श्री जगदानंद सिंह : केवल मेरी एक बात सुन ली जाये। जो एजेंडा सरकुलेट हुआ है सभा सचिवालय की ओर से एजेंडा अनुसार ही सदन चलेगा। यही सरकार की भी मंशा है । एजेंडा से अलग कोई बात कहीं चलता हो तो उसको कार्यवाही से हटा देने के लिए मेरा आग्रह है।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर जनता दल के अनेक माननीय सदस्य सदन के बीच में चले आये और मांग करने लगे कि प्रश्नोत्तर काल के बाद की पूरी कार्यवाही को प्रोसिडिंग से निकाल दिया जाये।)

अध्यक्ष : आप लोग अपनी सीट पर जाकर बैठिये। जो भी इधर उधर से बातें हुई हैं उसको प्रोसिडिंग से हटा दिया जाये।

(व्यवधान)

आप लोग बैठिये न। आपलोग अपनी जगह पर बैठिये। पहले अपनी-अपनी जगह पर जाकर माननीय सदस्य बैठ जायें। पहले हाउस को ऑर्डर में आने दीजिये।

श्री मुंशी लाल राय : अध्यक्ष महोदय, 12.00 बजे से समय निश्चित था कॉल एटेंशन के लिये। हमारा विशेषाधिकार था इनके खिलाफ उस दिन और उस पर नियमन देना था। इस आदमी ने असेम्बली के खिलाफ इंगीत किया था। मैं आपसे उस दिन से निवेदन कर रहा हूं हिक इसके लिए सदन को विशेषाधिकार

समिति बना दीजिये। प्रिभिलेज समिति सदन में घोषित कर दीजिये और तय कर दीजिये कि उस विशेषाधिकार समिति में क्या होने वाला है। इस आदमी ने सदन की गरिमा को, असेम्बली की गरिमा को, कमिटी की गरिमा को तोड़ा है। इस आदमी ने 4 करोड़ रुपया लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अपनी सीट पर जाइये।

श्री मुंशी लाल राय : अध्यक्ष महोदय, मैंने सुशील कुमार मोदी जी के खिलाफ विशेषाधिकार दिया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के लिये लंच पैकेट का इंतजाम किया गया है। माननीय सदस्य लंच ले लेंगे और तब दूसरी पाली में यहां बैठेंगे। इसलिए अब मैं सभा की बैठक 2.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित करता हूं।

(अंतराल)

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

श्री हिन्द केशरी यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का समय मैं आपसे लूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अध्यक्ष डा. श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु 1962 से 1967 तक थे। इस सदन में सर्कूलर था कि अंक

या अक्षर अंग्रेजी भाषा में नहीं लिखा जायेगा और एक कर्मचारी इसका उल्लंघन करते हुए दरखास्त दे दिया तो उन्हें निलंबित कर दिया गया और छुट्टी रद्द कर दी गई। इतना ही अनुरोध करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो सदन में हुआ है कि हम हू ब हू अंग्रेजी का हिन्दी नहीं बना सकते हैं उसको प्रोसिडिंग से निकाल दीजिये।

अध्यक्ष : आप बैठिये न।

प्रतिवेदन का रखा जाना

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के अधीन बिहार विधान सभा की आन्तरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं।

सभा सचिव : महोदय, दशम विधान सभा के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति द्वारा 27वां प्रतिवेदन दिनांक 8 जुलाई 1993 को पारित किया गया था। उस प्रतिवेदन को एकादश विधान सभा में सदन की मेज पर उपस्थापित करता हूं।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

श्री मंगनी लाल मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग से संबंधित वर्ष 1995-96 एवं कार्यक्रम वर्ष 1996-97 का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुंशी लाल राय जी ने एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की है जो मैं समझता हूं राज्य और राष्ट्र के हित में है।